

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-248

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

बिजली की बचत

*248. श्रीमती संतोष अहलावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की खपत का क्या रुझान देखा गया है और बिजली की बचत/संरक्षण सहित मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) हेतु कार्यान्वयनाधीन योजनाएं कौन-सी हैं;
- (ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खराब उपकरणों, लीकेज और अधिक ऊर्जा की खपत करने वाले इलेक्ट्रिक उपकरणों आदि के प्रयोग से घरेलू क्षेत्र में काफी बिजली व्यर्थ हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;
- (ग) क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली के संरक्षण और बचत हेतु कम ऊर्जा की खपत करने वाले उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : निवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"बिजली की बचत" के बारे में लोक सभा में दिनांक 06.08.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 248 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत की खपत का रुझान नीचे दिया गया है:

उपभोक्ताओं की श्रेणी	यूटिलिटी और गैर-यूटिलिटी विद्युत खपत (एमयू)		
	2012-13	2013-14	2014-15
घरेलू	183700	202297*	220894@
औद्योगिक	365989	380605*	395221@

उपभोक्ताओं की श्रेणी	वृद्धि (%)		
	2011-12 की तुलना में 2012-13 में	2012-13 की तुलना में 2013-14 में	2013-14 की तुलना में 2014-15 में
घरेलू	7.36	10.12*	9.19@
औद्योगिक	3.89	3.99*	3.84@

(* - अनंतिम

@ - अनुमानित)

विद्युत की बचत/संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वयनाधीन स्कीमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) उपकरणों और भवनों के लिए मानक, संहिताएं एवं लेबलिंग;
- ;
- (iii) ऊर्जा संरक्षण जागरूकता, अवार्ड एवं चित्रकला प्रतियोगिता;
- (iv) राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन;

(ख) : खराब उपकरणों के प्रयोग, लीकेज तथा ऊर्जा-अदक्ष विद्युत उपकरणों के प्रयोग के परिणामस्वरूप विद्युत की बर्बादी होती है। तथापि, सरकार ने ऐसी बर्बादी का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन शुरू नहीं कराया है।

(ग) और (घ) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना में, स्वैच्छिक आधार पर ऊर्जा दक्षता निष्पादन स्टार लेबलों के लिए 13 उपकरणों का लक्ष्य रखा गया है, अनिवार्य स्टार लेबलिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 अतिरिक्त उपकरणों को शामिल किया जाना है तथा मौजूदा 7 स्टार लेबल वाले उपकरणों की ऊर्जा दक्षता का उन्नयन किया जाना है। ऊर्जा दक्ष उपकरणों के लिए विद्युत बचत का लक्ष्य 13.95 बिलियन यूनिट (बीयू) है। अब तक, सात उपकरणों को स्वैच्छिक आधार पर ऊर्जा दक्षता निष्पादन स्टार लेबल प्रदान किए जा चुके हैं। 7 मौजूदा उपकरणों का ऊर्जा दक्षता उन्नयन किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप 8.67 बिलियन यूनिट (बीयू) की विद्युत बचत हुई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-260

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत की मांग

*260. श्री शरद त्रिपाठी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों के लिए बिजली की मांग का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या निधियों की कमी के कारण विद्युत परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में मांग संबंधी वृद्धि की पूर्ति के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : निवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत की मांग" के बारे में लोक सभा में दिनांक 06.08.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 260 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत 18वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण (ईपीएस) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में अगले पाँच वर्षों के लिए विद्युत ऊर्जा आवश्यकता (ईईआर) तथा वार्षिक व्यस्ततम विद्युत भार (एपीईएल) नीचे दिया गया है:

वर्ष	विद्युत ऊर्जा आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	वार्षिक व्यस्ततमकालीन विद्युत भार (मेगावाट)
2015-16	1257589	183902
2016-17	1354874	199540
2017-18	1450982	214093
2018-19	1552008	229465
2019-20	1660783	246068

देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान पारंपरिक स्रोतों से उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य 88,537 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 30,000 मेगावाट क्षमता की योजना बनाई गई है।

(ग) : निधियों की कमी के कारण तथा कुछेक उत्पादन परियोजनाओं में प्रगति धीमी है तथा कुछेक उत्पादन परियोजनाएं रूकी हुई हैं। विद्युत सहित अवसंरचना में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र से विशिष्ट कुछ उपाय नीचे दिए जा रहे हैं :

- ज्यादा स्वच्छ, ज्यादा दक्ष ताप विद्युत को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम "अल्ट्रा-मॉडर्न सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप विद्युत प्रौद्योगिकी" की तैयारी के कार्य के लिए 100 करोड़ रूपए आबंटित किए गए।

- निवेशकों को बेहतर योजना बनाने में सहायता करने के लिए, 31.03.2017 तक विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेषण शुरू करने वाले उपक्रमों को 10 वर्ष का कर-अवकाश प्रदान किया गया है।
- ट्रांजिशन वित्त तंत्र के माध्यम से वितरण कंपनियों के पुनर्गठन के लिए वित्तपोषण की स्कीम केंद्रीय सहायता से शुरू की गई ताकि उनकी वित्तीय स्थिति को बहाल किया जा सके।
- राज्य विद्युत यूटिलिटियों को संवितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए मार्च, 2012 में राष्ट्रीय विद्युत निधि गठित की गई।
- प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए परियोजनाएं अभिज्ञात करके पारेषण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता को सुविधाजनक बनाया जाता है।

(घ) : विद्युत की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। सरकार ने वर्ष 2022 तक 175,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- उत्पादन यूनिटों की दक्षता में सुधार करने तथा बेहतर उपलब्धता के लिए पुरानी, अदक्ष उत्पादन यूनिटों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण तथा कार्य-काल विस्तार किया जा रहा है।
- विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं।
- भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग की स्कीम मंजूर की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2772

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों की स्थापना

2772. श्री एम. चन्द्राकाशी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जिला/खंड/तहसील स्तर पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 50-100 मेगावाट की ताप विद्युत प्रणाली स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छोटी ताप विद्युत प्रणालियों की दक्षता और व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए कोई अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : जिला/खण्ड/तहसील स्तर पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 50-100 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2775

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

निजी विद्युत वितरण कंपनियों के कार्य-निष्पादन
की समीक्षा

2775. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी विद्युत वितरण कंपनियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार राज्य विद्युत/यूटीलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार उपभोक्ताओं को बेहतर ढंग से विद्युत उपलब्ध कराने के राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देने में सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है।

उपयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों को वितरण लाइसेंसियों के निष्पादन की देख-रेख करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (1)(i) के अंतर्गत, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कार्य नीचे उद्धृत किये गये हैं।

"लाइसेंसियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता तथा विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को विनिर्दिष्ट करना अथवा लागू करना"

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2786

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

नए विद्युत संयंत्र

2786. श्री रवीन्द्र कुमार रायः

श्री रवीन्द्र कुमार जेनाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/एनटीपीसी का राज्य सरकारों के सहयोग से झारखंड और ओडिशा सहित देश में नए विद्युत उत्पादन संयंत्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एनटीपीसी ने राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम में निम्नलिखित नई विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है :

क्रम सं.	परियोजना	सहयोगी राज्य
1.	पतरातु टीपीएस 4000 मेगावाट	झारखण्ड
2.	कजरा टीपीपी 1320 मेगावाट	बिहार

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2795

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रम

2795. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों (पीएसयू) में से किसी में हिस्सेदारी का विनिवेश करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के लिए विद्युत मंत्रालय के अधीन घाटे में चल रहे सभी सरकारी उपक्रमों का कार्यनिष्पादन क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत मंत्रालय के अधीन घाटे में चल रहे सभी सरकारी उपक्रमों में हिस्सेदारी का विनिवेश करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ।

सरकार ने नीचे दर्शाए गए अनुसार दो विद्युत क्षेत्र केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) में विनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है।

(i)	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी)	-	11.36%
(ii)	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी)	-	5%

(ख) : विद्युत मंत्रालय के किसी भी सीपीएसयू में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) : सरकार की वर्तमान विनिवेश नीति उन सीपीएसयू में विनिवेश करने की है जोकि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लाभ में रही हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2810

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है।

ऊर्जा दक्षता

2810. श्री आनंदराव अडसुलः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री आधलराव पाटील शिवाजीरावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बिजली के संरक्षण हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या घरेलू, कृषि और व्यावसायिक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में ऊर्जा संपरीक्षा के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : सरकार द्वारा विद्युत संरक्षण के लिए की गई पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ उपकरणों एवं भवनों के मानक, संहिता एवं लेबलिंग; मांग पक्ष प्रबंधन (कृषि, नगरपालिका एवं लघु तथा मध्यम उद्यम (एसएमई), ऊर्जा संरक्षण जागरूकता, अवार्ड एवं चित्रकला प्रतियोगिता; राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईईई); तथा निष्पादन से जुड़े पुनःभुगतान व्यवसाय मॉडल पर ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में निवेश को समर्थित करना शामिल है।

(ख) और (ग) : घरेलू, कृषि तथा वाणिज्यिक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित तंत्र मौजूद है :

- घरेलू उपकरणों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम।
- घरेलू दक्ष प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम (डीईएलपी) के अंतर्गत घरेलू क्षेत्र में अदक्ष प्रकाश बल्बों को दक्ष एलईडी बल्ब से बदलना।
- ऊर्जा दक्ष बहु-मंजिला आवासीय भवनों के लिए डिजाइन संबंधी दिशा-निर्देश।
- ऊर्जा दक्ष कृषि पंपसेटों की लेबलिंग।
- औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए बनाओ, हासिल करो और चलाओ (पीएटी) स्कीम।

(घ) और (ङ) : सरकार ने पीएटी स्कीम के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में निर्दिष्ट उपभोक्ताओं की अनिवार्य ऊर्जा लेखा-परीक्षा अधिसूचित की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2822

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

जनजातीय ग्रामों में विद्युतीकरण

2822. एडवोकेट जोएस जॉर्ज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जनजातीय क्षेत्रों का समयबद्ध तरीके से विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्र के विद्युतीकरण हेतु वनों में से होते हुए बिजली की लाइनें बिछाने हेतु दिशानिर्देश/सरकारी आदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2014 में अनुमोदित "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" (डीडीयूजीजेवाई) के आरई घटक के अंतर्गत, सभी गैर-विद्युत गांवों/वासस्थलों, को उनकी जनसंख्या का लिहाज किए बिना, जिनमें जनजातीय क्षेत्र भी शामिल हैं, स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युतीकरण के लिए शामिल किया जाता है। विद्युतीकरण कार्यों को पूरा करने की निर्धारित अवधि, संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संविदा अवार्ड किए जाने की तिथि से 24 माह है।

(ख) : संबंधित वितरण कंपनी मार्गाधिकार, वन स्वीकृतियों इत्यादि सहित विभिन्न स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए नजदीकी फीडिंग प्वाइंट की उपलब्धतानुसार, जनजातीय क्षेत्रों सहित गांवों/वासस्थलों को विद्युतीकृत करने की योजना बनाती है। लाइनें एवं उपकेंद्र केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विनियमों के संबंधित खंडों के अनुसार लगाए जाने होते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2829

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

'फीडर सेग्रीगेशन' योजना

2829. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा शुरू की गई फीडर सेग्रीगेशन योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का महाराष्ट्र को गावथन फीडर सेपरेशन योजना (जीएफएसएस) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्ट्रिंग सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण हेतु दिसंबर, 2014 में, शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण और संवर्धन, जिसमें वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग शामिल है, के लिए 43033 करोड़ रूपए की कुल लागत से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) अनुमोदित की है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार संबंधित राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के आधार पर ही राज्यों को डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तथामि, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ने 2006-13 की अवधि के दौरान 2123.44 करोड़ रूपए के कुल ऋण घटक के साथ महाराष्ट्र राज्य में फीडर पृथक्करण स्कीम अर्थात गावथन फीडर पृथक्करण संस्वीकृत की है तथा आज की तिथि तक, यूपिलिटी ने आरईसी से इस स्कीम के लिए 1918.45 करोड़ रूपए का संवितरण प्राप्त किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2835

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन

2835. श्री रामचन्द्र बोहरा:

श्री प्रेम दास राई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(घ) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन की उपलब्धता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्पादन क्षमता सहित ईंधन फीडस्टॉक की उपलब्धता और उत्पादित विद्युत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्यों ने कोयले और गैस की अतिरिक्त आपूर्ति का निवेदन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) विद्युत संयंत्रों को ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

विद्युत के उत्पादन हेतु घरेलू स्रोतों से कोयले की कुल उपलब्धता नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 505 एमटी अनुमानित की गई है:

क्रम सं.	घरेलू स्रोतों से कोयला उपलब्धता	आंकड़े मिलियन टन में
1.	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से	435
2.	सिंगरैनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) से	38
3.	कैप्टिव खदानों से	32
	कुल	505

जारी.....2/-

गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए गैस की उपलब्धता लगभग 29 एमएमएससीएमडी (ई-बोली आरएलएनजी से आपूर्ति सहित) है।

30 जून, 2015 की स्थिति के अनुसार, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 1,67,208 मेगावाट और गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की 21,565 मेगावाट (तरल आधारित को छोड़कर) थी। अप्रैल-जून, 2015 की अवधि के दौरान कोयला/गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्पादन क्रमशः 205.4 बीयू और 9.9 बीयू था।

(ग) : राज्य जेनको सहित कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के अनुसार की जा रही है। तथापि, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल एवं दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने संबंधित राज्यों में स्थापित गैस आधारित विद्युत संयंत्रों/परियोजनाओं के लिए पर्याप्त गैस की आपूर्ति करने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। भारत सरकार ने स्टैंडर्ड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित पीएलएफ लक्ष्य तक घरेलू गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों के लिए वर्ष 2015-16 और 2016-17 में स्पॉट आरएलएनजी के आयात के लिए एक स्कीम को स्वीकृति प्रदान की है। इस स्कीम के अंतर्गत पीएसडीएफ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) से वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। पीएसडीएफ से सहायता के लिए 7500 करोड़ रुपए का परिव्यय (वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए क्रमशः 3500 करोड़ रुपए तथा 4000 करोड़ रुपए) निर्धारित किया गया है।

(घ) : देश में विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं:

- (i) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा कोयले का उत्पादन बढ़ाना, वर्ष 2014-15 में उत्पादन बढ़कर 494.23 एमटी हो गया, जोकि वर्ष 2013-14 से 6.8% अधिक है। उत्पादन में 01 अप्रैल, 2015 से 14 जुलाई, 2015 तक 11.4% और वृद्धि हुई।
- (ii) 31 मार्च, 2015 तक नीलामी/आबंटन के माध्यम से विद्युत क्षेत्र के लिए 46 कोयला ब्लॉकों का पुनः आबंटन।
- (iii) कोयले की तत्काल आपूर्ति से जुड़े मामलों का समाधान करने के लिए कोयले की ई-नीलामी में विद्युत क्षेत्र हेतु कोयले की पृथक मात्रा निर्धारित की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2837

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

सिम्हादरी संयंत्र

2837. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती):

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में स्थापित समर्पित विद्युत संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में कतिपय समर्पित संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) संयंत्रों को समयबद्ध सीमा में विशेषकर आंध्र प्रदेश में स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्यों में स्थापित समर्पित विद्युत संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) और (ग) : विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने अपने राज्यों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजनाओं से सम्पूर्ण विद्युत आवंटित करने का अनुरोध किया है। ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा अनुबंध-11 में दिया गया है।

(घ) : सरकार परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग करती है तथा मामलों/बाधाओं, यदि कोई हो, का संबंधित प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके समाधान किया जाता है।

लोक सभा में दिनांक 06.08.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2837 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्यों में स्थापित किए गए समर्पित विद्युत संयंत्र

क्रम सं.	राज्य	संयंत्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)	प्रकार
1.	दिल्ली	बदरपुर	705	ताप
2.	उत्तर प्रदेश	टांडा	440	ताप
3.	हरियाणा	फरीदाबाद	431	गैस
4.	राजस्थान	राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन (आरएपीपी) यू-1 व 2	300	न्यूक्लियर
5.	राजस्थान	बरसिंगसर लिग्नाइट	250	ताप
6.	जम्मू व कश्मीर	चूटक	44	जल
7.	मध्य प्रदेश	ऑंकारेश्वर	520	जल
8.	मध्य प्रदेश	इंदिरा सागर	1000	जल
9.	केरल	कायकुलम	360	गैस
10.	तमिलनाडु	एनएलसी टीपीएस-1	600	ताप
11.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	सिम्हाद्री*	1000	ताप
12.	ओडिशा	तालचेर टीपीएस	460	ताप
13.	पश्चिम बंगाल	तीस्ता लो डैम	120	जल
14.	बिहार	कांटी टीपीएस	220	ताप

* पूर्व में सिम्हाद्री (1000 मेगावाट) अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए समर्पित था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विभाजन के पश्चात 46.11% : 53.89% के अनुपात में विद्युत का बंटवारा किया गया है।

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 06.08.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2837 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

प्रस्तुत केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से संपूर्ण विद्युत के आबंटन के लिए राज्यों से प्राप्त अनुरोध प्रस्ताव

क्रम सं.	परियोजना/विकासकर्ता का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	पीरपेंती टीपीपी	बिहार	2x660
2	बक्सर टीपीपी	बिहार	2x660
3	लखीसराय टीपीपी	बिहार	2x660
4	बिथनोक थर्मल पावर प्रोजेक्ट	राजस्थान	1x250
5	बरसिंगसर थर्मल एक्सटेंशन पावर प्रोजेक्ट	राजस्थान	1x250
6	तेलंगाना में एनटीपीसी द्वारा विद्युत संयंत्र	तेलंगाना	4000
7.	सलका थर्मल पावर प्रोजेक्ट	छत्तीसगढ़	2x660

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2888

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है।

एनटीपीसी के व्यय का ब्यौरा

2888. श्री केशव प्रसाद मौर्य:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत वहन किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वहन किए गए व्यय में भ्रष्टाचार की शिकायतें रिपोर्ट की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सीएसआर के अंतर्गत व्यय की गई राशि (करोड़ रु. में)
1	2012-13	69.24
2	2013-14	128.35*
3	2014-15	205.18*

*सतत् विकास गतिविधियों सहित

(ख) : जी, नहीं।

(ग) : उपर्युक्त (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2897

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन क्षमता

2897. श्रीमती सकुंतला लागुरी:

श्री चन्द्रकांत खैरे:

श्री सी. आर. चौधरी:

श्री लक्ष्मी नारायण यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत उत्पादन करने वाली निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी

(ख) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की ऐसी विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों के साथ कोई करार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन कंपनियों द्वारा उत्पादित विद्युत से उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत उत्पादन में निजी कम्पनियों की संस्थापित क्षमता सहित उनके ब्यौरे अनुबंध-1 में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) : सामान्यतः राज्य सरकारें अपनी प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की विद्युत कम्पनियों के साथ विद्युत क्रय करार करती हैं।

(घ) और (ङ.) : इन निजी कम्पनियों से विद्युत उत्पादन निर्धारित राज्य के लाभ के लिए राज्य डिस्कामों द्वारा अपनी मांग को पूरा करने के लिए उनकी आवश्यकता/की गई मांग के अनुसार निर्धारित किया गया था। संबंधित राज्य में स्थित इन प्राइवेट कम्पनियों के उत्पादन के ब्यौरे अनुबंध-11 में संलग्न हैं।

लोक सभा में दिनांक 06.08.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2897 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

30.06.2015 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादन स्टेशनों की अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता

राज्य	मुख्य प्रस्तावकर्ता	विकासकर्ता	परियोजना का नाम	कुल संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
आंध्र प्रदेश	डीजल	एल.वी.एस. पावर कारपोरेशन	एल.वी.एस. डीजल पावर स्टेशन	36.8
	जीटी-गैस	बीएसईएस	गौतमी सीसीपीपी	464
			कोनासीमा सीसीपीपी	445
			पेड्डापूरन गैस पावर स्टेशन	220
			विजेश्वरन गैस पावर स्टेशन	272
		जीएमआर पावर कारपो. प्रा. लि.	तनीर बावी गैस पावर स्टेशन	220
		जीवीके इंड	जेगरुपडु गैस पावर स्टेशन	455.4
		लैंको	कोंडापल्ली गैस पावर स्टेशन	350
			लैंको कोंडापल्ली गैस पावर स्टेशन	366
		एसपीजीएल (स्पेक्ट्रम)	गोदावरी गैस पावर स्टेशन	208
		वेमागिरी पावर कारपो.	वेमागिरी सीसीपीपी	370
	स्टीम	मीनाक्षी एनर्जी पीएल	थामिनापट्टनम टीपीपी	300
		सिम्हापुरी एनर्जी पीएल	सिम्हापुरी फेज-II	150
			सिम्हापुरी टीपीपी	450
		थर्मल पावर टेक कारपो. लि.	पैनमपुरम टीपीपी यू-1	660
आंध्र प्रदेश कुल				4967.2
असम	जीटी-गैस	डीएलएफ पावर कं.	अदमतिल्ला गैस पावर स्टेशन	9
			बसखंडी गैस पावर स्टेशन	15.5
असम कुल				24.5
छत्तीसगढ़	स्टीम	एसीबी (इंडिया) लि.	चकाबुरा टीपीपी	60
			कसाईपल्ली टीपीपी	270
			स्वास्तिक कोरबा	25
		बाल्को	बाल्को टीपीपी	300
		डीबी पावर	बदादरहा	1200
		जीएमआर	राइखेड़ा टीपीपी यू-1	685
		जेपीएल	तमनार टीपीपी	600
		कोरबा वेस्ट प्रा. लि.	अवंथा भंडा टीपीपी	600
		केएसके महानदी पावर कंपनी लि.	अकलतारा (नैयारा) टीपीपी	1200
		मैसर्स लैंको अमरकंटक लि.	लैंको अमरकंटक टीपीएस पथाड	600
		मैसर्स ओ.पी. जिंदल	राजगढ़ थर्मल पावर स्टेशन	1000
			तमनार टीपीपी	1800
		मारुति पावर लिमिटेड	बंदाखार टीपीपी	300
		एसवी पावर लि.	एसवीपीएल लि.	63
		स्पैक्ट्रम कोल एंड पावर लि.	रतीजा टीपीएस	50
		वंदना एनर्जी एंड स्टील	कटघोरा टीपीपी	35
		वंदना विद्युत लिमिटेड	सलोरा टीपीपी	135
छत्तीसगढ़ कुल				8923
दिल्ली	जीटी-गैस	एनडीपीएल	रिठाला सीसीपीपी	108
दिल्ली कुल				108
गोवा	जीटी-गैस	रिलायंस सलगोकर	सलगोकर गैस पावर स्टेशन गोवा (जीटी)	48
गोवा कुल				48
गुजरात	जीटी-गैस	एस्सार प्रा.	एस्सार गैस पावर स्टेशन	515
		जीआईपीसीएल	बरौदा गैस पावर स्टेशन	160
		जीटीई कारपो.	पेगुथान गैस पावर स्टेशन	655

		मैसर्स टॉरेंट एनर्जी	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200
		टॉरेंट पावर जेनरेशन लि.	सुजैन सीसीपीपी	1147.5
			यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.5
			वटवा गैस पावर स्टेशन	100
	स्टीम	अदानी पावर लि.	मुंद्रा टीपीएस	4620
		एस्सार गुजरात	सलाया टीपीपी	1200
		जीआईपीसीएल	सूरत लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन	500
		टाटा पावर (सीजीपीएल)	मुंद्रा यूएमपीपी	4000
		टॉरेंट पावर जेनरेशन लि.	साबरमती थर्मल पावर स्टेशन	422
गुजरात कुल				14902
हरियाणा	स्टीम	चाइना लाइट पावर	महात्मा गांधी टीपीपी	1320
हरियाणा कुल				1320
हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	ए.डी. एचवाई पावर लि.	अलियन दुहांगान एचईपी	192
		जेपी करछम हाइ. कार. लि.	करछम वांगटू एचईपी	1000
		जेपीपीवीएल (जयप्रकाश)	बासपा हाइड्रो पावर स्टेशन	300
		लैंको बुधहिल प्रा.	बुधहिल एचईपी	70
		मलाना पी. कं. लि.	मलाना हाइड्रो पावर स्टेशन	86
			मलाना हाइड्रो पावर स्टेशन-II	100
हिमाचल प्रदेश कुल				1748
झारखंड	स्टीम	आधुनिक पावर एंड नैचुरल रिसोर्सेस लि.	महादेव प्रसाद एसटीपीपी	540
		आर.बी. मैथॉन पावर लि.	मैथॉन आर.बी. टीपीपी	1050
		टाटा पावर कं.	जोजोबेरा थर्मल पावर स्टेशन	360
झारखंड कुल				1950
कर्नाटक	डीजल	श्री रायलसीमा अलकलीज एंड अलाईड केमिकल	बेल्लारी डीजल पावर स्टेशन	25.2
		टाटा पावर कं. लि.	बेलगॉम डीजल पावर स्टेशन (टाटा)	81.3
	स्टीम	जिंदल (प्रा. कं.)	तोरंगलल्लू थर्मल पावर स्टेशन	860
		उडुपी पावर कारपो. लि.	उडुपी थर्मल पावर स्टेशन	1200
कर्नाटक कुल				2166.5
केरल	जीटी-गैस	बीएसईएस प्रा. कं.	कोचीन गैस पावर स्टेशन	174
केरल कुल				174
मध्य प्रदेश	स्टीम	बीएलए प्रा. लि.	निवारी थर्मल पावर स्टेशन	45
		बीपीएससीएल	बीना थर्मल पावर स्टेशन	500
		एस्सार पावर	महान थर्मल पावर स्टेशन	600
		जयप्रकार पावर वेंचर लि.	निगरी	1320
		एमबी पावर	अनूपपुर टीपीपी	600
		रिलायंस पावर लि.	सासन यूएमपीपी	3960
मध्य प्रदेश कुल				7025
महाराष्ट्र	जीटी-गैस	टाटा पावर कं.	ट्रॉम्बे गैस पावर स्टेशन	180
	हाइड्रो	टाटा पी. कं. लि.	भीरा हाइड्रो पावर स्टेशन	150
			भीरा हाइड्रो पावर स्टेशन पीएसएस	150
			भिवपुरी हाइड्रो पावर स्टेशन	75
			खोपोली हाइड्रो पावर स्टेशन	72
	स्टीम	अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी पीएल	मिहान टीपीपी	246
		अदानी पावर महाराष्ट्र लि.	तिरीरा टीपीपी	3300
		बीएसईएस प्रा.	दहानु थर्मल पावर स्टेशन	500
		धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर	धारीवाल टीपीपी	600
		जीएमआर एमको एनर्जी लि.	एमको वरौरा टीपीपी	600
		गुप्ता एनर्जी पीएल	जीईपीएल टीपीपी	120
		आइडियल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लि.	बेला थर्मल पावर स्टेशन	270
		इंडियबुल्स प्रा. लि.	अमरावती थर्मल पावर स्टेशन	540
			नासिक थर्मल पावर स्टेशन	270
		जेएसडब्ल्यू एनर्जी (रत्नागिरी)	जेएसडब्ल्यू एनर्जी टीपीपी (रत्नागिरी)	1200
		रत्न पावर	अमरावती टीपीपी	540
		रत्न इंडिया पावर लि.	अमरावती थर्मल पावर स्टेशन	270

		टाटा पावर कं.	टॉम्बे थर्मल पावर स्टेशन	1400
		विदर्भ इंडस्ट्रीज लि.	बुटीबोरी टीपीपी	600
		वर्धा पीसीपीएल	वर्धा वरीरा टीपीपी	540
महाराष्ट्र कुल				11623
ओडिशा	स्टीम	जीएमआर	जीएमआर (कमलंगा) टीपीपी	700
			स्टरलाईट (झारसुगड़ा) टीपीपी	350
		जेआईपीएल	देरांग	1200
		स्टरलाईट एनर्जी	स्टरलाईट (झारसुगड़ा) टीपीपी	2400
ओडिशा कुल				4650
पंजाब	स्टीम	एल एंड टी पावर डेवलेपमेंट लि. (नाभा)	नभान टीपीपी (राजपुरा टीपीपी)	700
		नाभा पावर डेवलेपमेंट लि.	नभान टीपीपी (राजपुरा टीपीपी)	700
		तलवंडी साबो पावर लि.	तलवंडी साबो टीपीपी	660
पंजाब कुल				2060
राजस्थान	स्टीम	अदानी पावर लि.	कवाई टीपीपी	1320
		जेएसडब्ल्यू राजवेस्ट पावर लि.	जलीपा कपूर्दी लिगनाइट टीपीपी	1080
राजस्थान कुल				2400
सिक्किम	हाइड्रो	गति इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	चूजाचैन एचईपी	99
सिक्किम कुल				99
तमिलनाडु	डीजल	जीएमईआर पावर कारपो. प्रा. लि.	बेसिन ब्रिज डीजल पावर स्टेशन	200
		मदुरै पीसीएल	समयानल्लूर डीजल पावर स्टेशन	106.001
		समलपट्टी पावर कं.	समलपट्टी गैस पावर स्टेशन	105.658
	जीटी-गैस	अदानी पावर कं. लि.	करूपपुर सीसीजीटी	70
			करूपपुर सीसीजीटी (वेस्ट हीट स्टीम)	49.8
		पेन्ना इलेक्ट्रिक लि.	वैलंथरवी जीपीएस	52.8
		पीपीएन पावर कं. लि.	पिल्लईपेरुमलनल्लूर गैस पावर स्टेशन	330.5
	स्टीम	कोस्टल एनर्जी	मुतियारा टीपीपी	600
		इंड बराथ	इंड बराथ तृतीकोरिन	300
		एसटी सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन	250
तमिलनाडु कुल				2064.759
उत्तर प्रदेश	स्टीम	बजाज पावर कं.	बरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन	90
			खांवरखोड़ा थर्मल पावर स्टेशन	90
			कुंदरकी थर्मल पावर स्टेशन	90
			मकसूदपुर थर्मल पावर स्टेशन	90
			उतरौला थर्मल पावर स्टेशन	90
		लैंको अनपरा पावर लि.	अनपरा 'सी' थर्मल पावर स्टेशन	1200
		रोसा पावर सप्लाय कं.	रोसा थर्मल पावर स्टेशन	1200
उत्तर प्रदेश कुल				2850
उत्तराखंड	हाइड्रो	एचपीसीएल	श्रीनगर एचईपी	330
		जेपीपीवीएल (जयप्रकाश)	विष्णु प्रयाग हाइड्रो पावर स्टेशन	400
उत्तराखंड कुल				730
पश्चिम बंगाल	स्टीम	सी.ई.एस.सी. प्रा.	बज-बज थर्मल पावर स्टेशन	750
			न्यू कोसीपोर थर्मल पावर स्टेशन	160
			साउदर्न रिप्लेसमेंट टीपीएस	135
			टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन	240
		दिशेरघड़ टीपीपी	चिनाकुरी थर्मल पावर स्टेशन	30
			दिशेरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन	18
			सीबपुरे पावर स्टेशन	8.375
		मैसर्स हल्दिया एनर्जी लिमिटेड	हल्दिया टीपीपी	600
पश्चिम बंगाल कुल				1941.375
			सकल योग	71774.334

लोक सभा में दिनांक 06.08.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2897 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निजी विद्युत कंपनियों के लिए 2014-15 और 2015-16 के लिए स्टेशन-वार उत्पादन

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी का नाम	स्टेशन का नाम	उत्पादन एमयू में	
				2015-16 (जून, 15 तक)*	2014-15
एनआर	दिल्ली	एनडीपीएल	रिठाला सीसीपीपी	0	0
	दिल्ली कुल			0	0
	हरियाणा	जेएचपीएल (एचआर)	महात्मा गांधी टीपीएस	1462.54	6537.48
	हरियाणा कुल			1462.54	6537.48
	हिमाचल प्रदेश	एडीएचपीएल	अलियन दुहांगन एचपीएस	268.13	677.78
		ई.पी.पी.एल.	मलाना-II एचपीएस	120.39	250.41
		एचएसपीसीएल	सौरांग एचपीएस	0	0
		जेएचपीएल	बासपा एचपीएस	429.79	1252.58
		जेकेएचपीसीएल	करछम वांगडू एचपीएस	1687.49	4240.43
		एलजीपीपीएल	बुधहिल एचपीएस	95.89	235.83
		एमपीसीएल	मलाना एचपीएस	112.19	328.43
	हिमाचल प्रदेश कुल			2713.88	6985.46
	पंजाब	जीवीकेपीएंडआईएल	गोइंदवाल साहिब	0	0
		एनपीएल	राजपुरा टीपीपी	1607.75	5727.31
		एसईएल	तलवंडा साबो टीपीपी	420.97	1522.7
	पंजाब कुल			2028.72	7250.01
	राजस्थान	एपीएल	कवाई टीपीएस	1940.81	7866.36
		आरडब्ल्यूपीएल (जेएसडब्ल्यू)	जलीपा कपूर्दी टीपीपी	1681.37	7351.81
	राजस्थान कुल			3622.18	15218.17
	उत्तर प्रदेश	बीईपीएल	बरखेड़ा टीपीएस	115.17	561.95
			खांबरखेड़ा टीपीएस	116.86	527.56
			कुंदरकी टीपीएस	126.82	536.81
			मकसूदपुर टीपीएस	113.51	527.59
			उतरौला टीपीएस	105.63	539.18
		लैंको	अनपरा सी टीपीएस	2226.09	8340.24
		आरपीएससीएल	रोसा टीपीपी फेज-I	2141.26	8591.61
	उत्तर प्रदेश कुल			4945.34	19624.94
	उत्तराखंड	जीवीकेपीएंडआईएल	श्रीनगर एचपीएस	0	0
		जेपीपीवीएल	विष्णुप्रयाग एचपीएस	586.82	1815.94
	उत्तराखंड कुल			586.82	1815.94
	एनआर कुल			15359.48	57432
	डब्ल्यूआर	एसीबी	चकाबुरा टीपीपी	53.92	223.09
			कसाईपल्ली टीपीपी	495.67	1774.95
			स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	0	0
		बाल्को	बाल्को टीपीएस	33.48	0
		डीबीपीसीएल	बारादरहा टीपीएस	1.88	292.36
		जीसीईएल	राइखेड़ा टीपीएस	51.05	21.65
		जेपीएल	ओपी जिंदल टीपीएस	974.95	8112.66
			तमनार टीपीपी	910.95	2409.79
		केडब्ल्यूपीसीएल	अवंथा भंडार	0	0
		लैंको	पथाडी टीपीपी	532.59	2239.46
		एससीपीएल	रतीजा टीपीएस	25.54	268.94
		एसवीपीपीएल	एसवीपीएल टीपीपी	0	0
		वीईएसपीएल	काटघोरा टीपीपी	0	0
		वीवीएल	सलोरा टीपीपी	0	137.12

		डब्ल्यूपीसीएल	अकलतारा टीपीएस	926.93	3305.03	
	छत्तीसगढ़ कुल			4006.96	18785.05	
	गोवा	रिलायंस	गोवा सीसीपीपी (लिक्वि.)	0	12.61	
	गोवा कुल			0	12.61	
	गुजरात	एपीएल	मुंद्रा टीपीएस	8618.29	30323.97	
		सीजीपीएल	मुंद्रा यूएमटीपीपी	6272.98	26577.6	
		ईजीपीएल	सलाया टीपीपी	1257.99	6609.27	
		एस्सार	एस्सार सीसीपीपी	0	0	
		जीआईपीसीएल	बरौदा सीसीपीपी	1.86	38.24	
			जीआईपीलीएल जीटी इम्प.	34.95	182.63	
			सूरत लिग्ना. टीपीएस	896.23	3266.61	
		जीटीई कारपो.	पेगुथान सीसीपीपी	104.75	298.44	
		टोर. पाव. (एईसीओ)	साबरमती (सी स्टेशन)	51.8	356.31	
			साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	657.21	2626.57	
			युनोसुजैन सीसीपीपी	200.31	0	
			वटवा सीसीपीपी	0	0	
		टोर. पाव. (सुजैन)	सुजैन सीसीपीपी	767.01	2600.64	
		टोर. पाव. (युनोसुजैन)	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	320.05	0	
	गुजरात कुल			19183.43	72880.28	
	मध्य प्रदेश	बीएलएपीपीएल	निवारी टीपीपी	38.2	337.16	
		बीपीएससीएल	बीना टीपीएस	142.21	2444.91	
		एसार आरपीएमपीएल	महान टीपीपी	0	450.69	
		जेपीपीवीएल	निगरी टीपीपी	820.97	1758.18	
		एमबीपीएमपीएल	अनुपपुर टीपीपी	349.39		
		आरपीएल	सासन यूएमटीपीपी	6994.51	17273.83	
		एसएमएचपीसीएल	महेश्वर एचपीएस	0	0	
	मध्य प्रदेश कुल			8345.28	22264.77	
	महाराष्ट्र	एएमएनईपीएल	मिहान टीपीएस	0	0	
		एपीएल	तिरौरा टीपीएस	5064.58	16470.15	
		डीआईपीएल	धारीवाल टीपीपी	0	475.68	
		डीएलएचपी	भंडारधारा एचपीएस स्टे.-II	22.7	65.4	
		ईईएल	एमको वरौरा टीपीएस	915.66	3614.9	
		जीईपीएल	जीईपीएल टीपीपी फेज-I	0	0	
		आईबीपीएल	अमरावती टीपीएस	580.16	2142.32	
			नासिक (पी) टीपीएस	0	0	
		आईईपीएल	बेला टीपीएस	0	0	
		जेएसडब्ल्यूईएल	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	1736.42	7639.71	
		आरआईएल (दहानु)	दहानु टीपीएस	1010.84	3997.22	
		टाटा महा.	भीरा एचपीएस	75.8	330.91	
			भीरा पीएसएस एचपीएस	113.8	506.16	
			भिवपुरी एचपीएस	63.1	300.68	
			खोपोली एचपीएस	94.25	303.75	
		टाटा पीसीएल	ट्रॉम्बे सीसीपीपी	261.68	1148.5	
			ट्रॉम्बे टीपीएस	1427.7	4860.42	
		वीआईपी	बुटीबोरी टीपीपी	1085.51	3644.48	
		डब्ल्यूपीसीएल	वर्धा वरौरा टीपीपी	622.41	1172.53	
	महाराष्ट्र कुल			13074.61	46672.81	
	डब्ल्यूआर कुल			44610.28	160615.52	
	एसआर	आंध्र प्रदेश	एपीजीसीएल	विजेश्वरन सीसीपीपी	230.24	663.83
			बीएसईएस (पी)	पेड्डापूरम सीसीपीपी	0	186.59
			गौतमी	गौतमी सीसीपीपी	104.33	0
			जीएमआर एनर्जी	जीएमआर एनर्जी लि. - काकीनाडा	0	0
			जीवीकेपीएंडआईएल	जेगुरुपडु सीसीपीपी	203	589.73
			एचएनपीसी	विजग टीपीपी	0	0
			कोना	कोनासीमा सीसीपीपी	0	0
			कोंडापल्ली	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	0	0

			कोंडापल्ली सीसीपीपी	54.27	574.71	
		एलवीएस पावर	एलवीएस पावर डीजी	0	0	
		एमईएल	थामिनापडनम टीपीएस	375.95	1552.46	
		एसईपीएल	सिम्हापुरी टीपीएस	957.77	3203.71	
		एसपीजीएल	गोदावरी सीसीपीपी	165.41	546.21	
		टीपीटीसीएल	पैनमपुरम टीपीपी	730.54	5.6	
		वेमागिरी	वेमागिरी सीसीपीपी	150.9	0	
	आंध्र प्रदेश कुल			2972.41	7322.84	
	कर्नाटक	बेल्लारी	बेल्लारी डीजी	0	0	
		जेएसडब्ल्यूईएल	तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I)	524.12	2228.52	
			तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II)	1001.09	5111.28	
		टाटा पीसीएल	बेलगोंम डीजी	0	0	
		यूपीसीएल	उडुपी टीपीपी	1944.68	6414.58	
	कर्नाटक कुल			3469.89	13754.38	
	केरल	बीएसईएस (सी)	कोचीन सीसीपीपी (लिव्वि.)	0	154.71	
	केरल कुल			0	154.71	
	तमिलनाडु	एबीएन पावर	करूपपुर सीसीपीपी	190.7	578.81	
		सीईपीएल	मुथियारा टीपीपी	802.13	1092.69	
		आईबीपीआईएल	तृतीकोरिन (पी) टीपीपी	529.92	1428.17	
		मदुरै पी	समयानल्लूर डीजी	0	245.35	
		पेन्ना	वैलंटरवी सीसीपीपी	74.26	378.8	
		पीपीएनपीजीसीएल	पी. नल्लूर सीसीपीपी	22.37	1171.37	
		समलपट्टी	समलपट्टी डीजी	1.8	224.36	
		एसटी-सीएमएसईसीपी	नैवेली टीपीएस (जेड)	442.91	1828.12	
		वसावी	बी. ब्रिज डी.जी.	2.14	576.26	
	तमिलनाडु कुल			2066.23	7523.93	
	एसआर कुल			8508.53	28755.86	
	ईआर	झारखंड	आधुनिक	महादेव प्रसाद एसटीपीपी	487.21	2212.58
			सीपीएल	मैत्रिणी उषा टीपीएस	0	0
			एमपीएल	मैथॉन आरबी टीपीपी	1758.29	6684.08
			टाटा पीसीएल	जोजबेरा टीपीएस	550.7	2537.54
	झारखंड कुल			2796.2	11434.2	
	ओडिशा	जीएमआर एनर्जी	कमलंगा टीपीएस	1332.7	4838.77	
		आईसीसीएल	आईसीसीएल इम्प.	99.51	290.34	
		जेपीएल	देरांग टीपीपी	1397.27	515.45	
		नाल्को	नाल्को इम्प.	62.42	256.44	
		एसईएल	स्टरलाइट टीपीपी	2481.02	8230.49	
	ओडिशा कुल			5372.92	14131.49	
	सिक्किम	डीईपीएल	जोरखांग लूप	0	0	
		जीआईएल	चूजाचैन एचपीएस	82.34	430.86	
		टीयूएल	तीस्ता-III एचपीएस	0	0	
	सिक्किम कुल			82.34	430.86	
	पश्चिम बंगाल	सीईएससी	बज बज टीपीएस	1601.77	5852.54	
			न्यू कोसीपोर टीपीएस	0	68.95	
			साउदर्न रिप्ल. टीपीएस	176.97	990.2	
			टीटागढ़ टीपीएस	295.16	1684.25	
		डीपीएससीएलटीडी	चिनाकुरी टीपीएस	0	0	
		एचईएल	हल्दिदा टीपीपी	627.56	356.23	
	पश्चिम बंगाल कुल			2701.46	8952.17	
	ईआर कुल			10952.92	34948.72	
	निजी कुल			79431.21	281752.1	

* वास्तविक-सह-आकलन पर आधारित अनंतिम

टिप्पणी :- 25 मेगावाट से अधिक के स्टेशनों से पारंपरिक स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर) से उत्पादन

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2901

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

एन.टी.पी.सी. द्वारा विद्युत आपूर्ति का रोका जाना

2901. डॉ. भोला सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का विचार अपने देय राशि का भुगतान नहीं करने वाली विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत आपूर्ति रोकने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) एन.टी.पी.सी. का ऐसी विद्युत वितरण कंपनियों/राज्य विद्युत बोर्डों पर कुल कितना बकाया है; और
- (ग) विद्युत वितरण कंपनियों/राज्य विद्युत बोर्डों से बकाये की वसूली के लिए एन.टी.पी.सी. द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2905

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

राज्य विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन

2905. श्री बलका सुमन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली में हाल ही में राज्य विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : हाल ही में, दिल्ली में राज्य विद्युत मंत्रियों का कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है। तथापि, दिनांक 9 एवं 10 अप्रैल, 2015 को गुवाहाटी में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत एवं खान मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास सहित सभी के लिए 24x7 विद्युत, विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2908

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत की क्रय-लागत

2908. श्रीमती रीता तराई:

श्री बलभद्र माझी:

श्री बैजयंत जे पांडा:

श्री रवीन्द्र कुमार जेना:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की दर निर्धारित करने के लिए किन-किन विभिन्न मानदण्डों/कारकों पर विचार किया जाता है;
- (ख) क्या बिहार में बाढ़ स्टेट-1 एनटीपीसी संयंत्र से प्राप्त विद्युत की क्रय लागत एनटीपीसी स्टेशन के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में बहुत ज्यादा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;
- (ग) क्या ओडिशा सहित कतिपय राज्यों ने इन राज्यों से बाहर स्थित एनटीपीसी संयंत्रों से दी जा रही विद्युत का आवंटन रोकने के लिए अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और
- (घ) सरकार द्वारा विद्युत की क्रय-लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इससे प्रयोक्ताओं को इसके खुदरा मूल्य में कितनी राहत मिलेगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

- (क) : एनटीपीसी स्टेशनों का प्रशुल्क प्रचलित प्रशुल्क विनियमों के आधार पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(सीईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। सीईआरसी द्वारा जारी किये गये वर्तमान प्रशुल्क विनियम 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए वैध हैं।

जारी....2/-

(ख) :- बाढ़ चरण-1 परियोजना निर्माणाधीन है और अभी चालू नहीं की गई है। अन्तिम लागत की जानकारी परियोजना के पूरे होने के बाद ही मिल सकती है और सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क का निर्धारण किया जायेगा।

(ग) : ओडिशा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, सिक्किम तथा दामोदर घाटी निगम ने केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से कुछ विद्युत वापस करने का अनुरोध किया है।

सीईआरसी (प्रशुल्क की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के अनुसार केन्द्र सरकार ऐसे वापिस किए गए हिस्से को इच्छुक यूटिलिटी/क्रेता को विद्युत के अंतरण की तकनीकी व्यवहार्यता और उत्पादन कम्पनी द्वारा ऐसे यूटिलिटी/ क्रेता के साथ किये गये विशिष्ट करार पर निर्भर रहते हुए पुनः आबंटित कर सकती है। इन राज्यों/यूटिलिटी के वापिस किए गए हिस्से के पत्रों की प्रतियां अन्य राज्यों को अर्गेषित की गई हैं। जब कभी अन्य राज्यों द्वारा उनकी इच्छा व्यक्त की जायेगी, इसका पुनः आबंटन किया जा सकता है।

(घ) : सरकार द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति की लागत को कम करने और परिणामतः अन्तिम प्रयोक्ताओं के लिए खुदरा मूल्यों को कम करने के लिए उठाये गए कदम इस प्रकार हैं:

1. भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 107 के तहत निर्देश जारी किये हैं और राज्य सरकारों को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के तहत एसईआरसी/जेईआरसी को ऐसे ही निर्देश जारी करने की सलाह दी है कि जब कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अध्यादेश 2014 के तहत नीलामी की गई अथवा आबंटित कोयला खदानों से खरीदा जा रहा हो, तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 63 के तहत पहले ही किये जा चुके पीपीए में प्रशुल्क को घटाने हेतु संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाए।

2. विद्युत मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोयला ब्लाक की नीलामी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जा सके, डीबीएफओओ (पूर्व में मामला-1 बोली) में वितरण लाईसेंसियों द्वारा कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अध्यादेश 2014 के तहत नीलामी की गई और आबंटित की गई खदानों से कोयला प्राप्त कर रहे ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत की भावी खरीद के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन करने के लिए 16 अप्रैल, 2015 को एक संकल्प जारी किया गया है। इस संकल्प में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुबंध किये गये हैं:

(i) जहाँ तक निश्चित/क्षमता प्रभारों का संबंध है विद्युत अधिप्रप्तिकर्ता, उपयुक्त आयोग के परामर्श से, निर्धारित/क्षमता प्रभारों के लिए रुपये/किलोवाट घण्टा की उच्चतर सीमा अग्रिम रूप से निर्धारित करेगा। इसे बोली दस्तावेज के भाग के रूप में डीबीएफओओ (पूर्व में मामला-1) बोलियां आमंत्रित करते समय सभी भावी बोलीकर्ताओं को भी अग्रिम रूप से दर्शाया जायेगा।

(ii) विद्युत अधिप्रप्तिकर्ता उपर्युक्त दिशा निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त आयोग की सहमति से, डीबीएफओओ/मामला-1 बोली दस्तावेज में, यदि आवश्यक हो तो आवश्यक संशोधन कर सकता है।

3. भारत सरकार ने स्ट्रैंड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों तथा रिवर्स ई-बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से चयनित पीएलएफ लक्ष्य तक घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों के लिए वर्ष 2015-16 और 2016-17 में स्पाट आरएलएनजी के आयात के लिए एक स्कीम स्वीकृत की है। इस स्कीम में पीएसडीएफ(विद्युत प्रणाली विकास निधि) से वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। पीएसडीएफ से सहायता के लिए 7500 करोड़ रुपये (वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए क्रमशः 3500 करोड़ रुपये और 4000 करोड़ रुपये) का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2930

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

पीजीसीआईएल द्वारा विद्युत पारेषण लाइन का उपयोग

2930. डॉ. रविन्द्र बाबू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के पास कोई ऐसा तंत्र विद्यमान है जिससे कि उन विद्युत पारेषण लाइनों के उपयोग को आकलित किया जा सके जिसके कारण संकुलन और अत्यधिकता उत्पन्न होती है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि 'संचयी पारेषण क्षमता' और 'संचयी अंतरण क्षमता' के बीच भारी अंतर है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) की सहायक कंपनी पावर सिस्टम ऑपरेशन कम्पनी लिमिटेड (पोसोको) विद्युत पारेषण लाइनों का उपयोग करने का नियमित मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न पारेषण कॉरीडोरों की कुल हस्तांतरण क्षमता (टीटीसी), उपलब्ध हस्तांतरण क्षमता (एटीसी) और हस्तांतरण विश्वसनीयता मार्जिन (टीआरएम) की गणना करके किया जाता है। पारेषण प्रणाली, जो देश में विकसित की जा रही है, पोसोको की सिफारिशों पर भी विचार करती है ताकि पारेषण कॉरीडोरों में संकुलन समाप्त किया जा सके अथवा आगे न्यूनतम किया जा सके।

(ग) और (घ) : कुल अंतरण क्षमता और उपलब्ध अंतरण क्षमता के बीच अंतर के संबंध में यह कहा गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षित ग्रिड प्रचालन मानकों को ध्यान में रखते हुए एटीसी की गणना की जाती है।

इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया गया है कि पारेषण ग्रिड एक मैश नेटवर्क है जिससे विभिन्न क्षमताओं वाली कई पारेषण लाइनें जुड़ी होती हैं और एटीसी में ग्रिड से जुड़ी सभी पारेषण लाइनों की वोल्टेज स्थिरता तथा एंग्यूलर स्टेबिलिटी जैसी बाधाओं को दर्शाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2939

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत शुल्क

2939. श्री राघव लखनपाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा लाभ का हिस्सा बहुत अधिक रखने के कारण उपभोक्ताओं के हित प्रभावित हो रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है और वे उपाय क्या हैं जो अत्याधिक लाभ के हिस्से को कम करके शुल्क घटाने के लिए किए जा सकते हैं; और
- (ग) निजी विद्युत उत्पादकों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें सरकार से कोयला लिंकेज के लिए पहुंच प्राप्त है या जिनके पास संरक्षित कोयला ब्लॉक्स हैं जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार दरों से कम मूल्य पर कोयला उपलब्ध कराने की गारंटी देते हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रशुल्क निर्धारण का उत्तरदायित्व विद्युत विनियामक आयोगों को सौंपा गया है और यह राज्य/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी/जेईआरसी) को उपभोक्ताओं के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस संबंध में, एसईआरसी/जेईआरसी प्रशुल्क निर्धारण के लिए समय-समय पर निबंधन एवं शर्तें अधिसूचित करता है जो सार्वजनिक और निजी दोनों वितरण लाइसेंसियों पर समान रूप से लागू होती हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्युत की फुटकर ब्रिकी के लिए प्रशुल्क उपयुक्त आयोग अर्थात् राज्य विद्युत विनियामक आयोग/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है और इस संबंध में भारत सरकार की सीधे कोई भूमिका नहीं होती है। प्रशुल्क के युक्तिकरण के लिए कदम के रूप में क्षेत्र को विनियमित करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना की गई है। अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अनुसरण में और अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत दिशा निर्देशित करने वाले सिद्धान्तों के संबंध में, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) अन्य बातों के साथ ही साथ आयोग यथाचित तरीके से विद्युत की लागत की वसूली सुनिश्चित करता है।

(ग) : आयातित कोयले का मूल्य मूल देश के स्रोत, कोयले के ग्रेड, समुद्री मालभाड़े इत्यादि पर निर्भर करता है और साप्ताहिक आधार पर भिन्न-भिन्न होता है। आयातित कोयले की तुलना में लिंकेज कोयले अथवा कैप्टिव ब्लॉक से घरेलू उपलब्ध कोयले के मूल्य के बीच अन्तर विद्युत संयंत्रों के स्थान (अर्थात् खानों/पोर्ट से दूरी), कोयले के ग्रेड और कोयले की विशेषताओं जैसे राख, नमी, कार्बन अंश पर निर्भर करता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार निजी विद्युत उत्पादकों जिनके पास सरकार की ओर से कोयला लिंकेज की पहुंच है अथवा कैप्टिव कोयला ब्लॉक हैं, का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 06.08.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 2939 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र (लिकेज/कोल ब्लॉक आधारित)			
क्रम सं.	पावर स्टेशन/यूनिट	संगठन	क्षमता (मेगावाट)
क	लिकेजधारक		
1	साबरमती (सी स्टेशन)	टोरेट पावर	400
2	दहानु	रिलायंस	500
3	बज बज	सीईएससी	750
4	न्यू कोसीपोर	सीईएससी	160
5	साउदन रिपल्	सीईएससी	135
6	टीटागढ़	सीईएससी	240
7	पथाडी (लैंको)/यूनिट-1 व 2	लैंको अमरकंटक	600
8	रोसा/यूनिट-1 से 4	रोसा पावर	1,200
9	झारसुगड़ा (स्टरलाइट)/यूनिट-2,1 व 3	स्टरलाइट	1,400
10	वर्धा वरौरा/यूनिट-1-4	केएसके	540
11	मैथॉन आरबी/यूनिट-1 व 2	एमपीएल	1,050
12	मुंद्रा, अदानी फेज-III/यूनिट-1, 2 व 3	अदानी पावर	1,980
13	लैंको अनपरा 'सी'/यूनिट-2 व 1	लैंको अनपरा	1,200
14	खांबरखेड़ा/यूनिट-1 व 2	बजाज एनर्जी	90
15	मकसूदपुर/यूनिट-1 व 2	बजाज एनर्जी	90
16	बरखेड़ा/यूनिट-1 व 2	बजाज एनर्जी	90
17	कुंदरकी/यूनिट-1 व 2	बजाज एनर्जी	90
18	महात्मा गांधी/यूनिट-1 व 2	जेपीएल	1,320
19	उत्तरीला/यूनिट-1 व 2	बजाज एनर्जी	90
20	मिहान/यूनिट-1-4		246
21	बीना/यूनिट-1 व 2	जेपी	500
22	बूटीबोरी/फेज-II, यूनिट-1	विदर्भ (रिलायंस)	300
23	तिरौड़ा-I/यूनिट-1 व 2**	अदानी महा. पावर	1180
24	कमलंगा/यूनिट-1 व 2***	जीएमआर कमलंगा	500
25	एमको वरौरा/यूनिट-1 व 2	जीएमआर एमको	600
26	बेला/यूनिट-1	आइडियल एनर्जी	270
27	अमरावती-I/यूनिट-1 से 5	रत्न इंडिया	1350
28	धारीवाल इफ्रा./यूनिट-1 व 2	सीईएससी	600
29	नासिक-I/यूनिट-1	रत्न इंडिया	270
30	अवंथा भंडार/यूनिट-1	कोरबा वेस्ट	600
31	नाभा/यूनिट-1 व 2	नाभा पावर	1400
32	बारादरहा (डीबी पावर)/यूनिट-1	डीबी पावर	600
33	तमनार/यूनिट-1 व 2	जिंदल पावर	1200
34	तलवंडी साबो/यूनिट-1	टीएसपीएल	660
35	देरांग/यूनिट-1	जिंदल इंडिया पावर लि.	600
36	हल्दिया/यूनिट-1 व 2	सीईएससी	600
37	पैनमपुरम/यूनिट-1	थर्मल पावरटेक	660
38	अनूपपुर-I/यूनिट-1	मोसरबियर	600
39	बंदाखार (मारुति क्लीन)/यूनिट-1	मारुति क्लीन	300
40	बाल्को/यूनिट-1	बाल्को	300
ख	कोल ब्लॉक आधारित		
41	राइखेड़ा यूनिट-1	जीएमआर छत्तीसगढ़	685
42	महान यू-1	एस्सार	600
43	देरांग यू-2	जिंदल इंडिया	600
44	निगरी यूनिट-1 व 2	जयप्रकाश पावर वेंचर्स	1320
45	सासन यूएमपीपी यूनिट-1-6	रिलायंस	3960
	कुल		32426

(**): 660 मेगावाट में से तिरौड़ा यूनिट-2 के पास 520 मेगावाट लिकेज और 140 मेगावाट का टेपरिंग लिकेज है।

(***): 350 मेगावाट में से कमलंगा यूनिट-2 के पास 150 मेगावाट लिकेज और 200 मेगावाट का टेपरिंग लिकेज है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-2967

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2015 को दिया जाना है।

अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम

2967. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री राहुल शेवाले:
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:
श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान:
श्री गजानन कीर्तिकर:
कुँवर हरिवंश सिंह:
डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़:
श्री विजय कुमार हांसदाक:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री कलिकेश एन. सिंह देव:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री एम. उदयकुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम के सृजन को स्वीकृति दे दी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इस सिस्टम में किन राज्यों को शामिल किए जाने की संभावना है;
- (ग) अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम के सृजन पर आने वाले संभावित खर्च का ब्यौरा क्या है;
- (घ) उक्त सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और किन संसाधनों से यह धनराशि जुटाई जाएगी; और
- (ङ) इस परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित की गई विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कब तक शुरू होने तथा पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

राज्य की राज्य पारेषण यूटिलिटियां (एसटीयू) अपने राज्यों में अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना तैयार करने, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, भारत सरकार जहां कहीं आवश्यक हो, राज्यों द्वारा ें, संभावित व्यय, आबंटित निधियां, पूर्णता कार्यक्रम इत्यादि का ब्यौरा अनुबंध में है।

(ङ) : स्कीमों के सभी पैकेज अवार्ड किए जा चुके हैं और ये उत्तरोत्तर मार्च, 2016 से दिसंबर, 2018 तक पूरे किए जाएंगे।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 06.08.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2967 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित अंतःराज्यीय पारेषण स्कीमों के संभावित व्यय, आबंटित निधियां, पूरा होने के कार्यक्रम इत्यादि का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा	परियोजना की अनुमानित लागत और पूरा होने की तिथि	वर्ष 2015-16 तक आबंटित निधियां और वे स्रोत जहां से ऐसी निधियां प्राप्त की जाएंगी
1.	एलुस्टेंग (श्रीनगर) से लेह (द्रास, कारगिल और खलस्ती 220/66 केवी सबस्टेशनों से होते हुए) तक 220 केवी पारेषण और जम्मू एवं कश्मीर में द्रास, कारगिल, खलस्ती और लेह सबस्टेशन के लिए 66 केवी इंटरकनेक्शन सिस्टम	1) एलुस्टेंग (श्रीनगर) से लेह (सोनमर्ग एवं जोजिला के निकट भूमिगत केबल सहित) 220 केवी एस/सी का निर्माण-कुल 352 किमी. 2) द्रास, कारगिल, खलस्ती एवं लेह न्यू एस/एसएस में चार 220/66 केवी जीआईएस एस/एस का निर्माण 3) 66/11 केवी (आरजीजीवीवाई एस/एसएस सहित 66 केवी इंटरकनेक्शन टीआर लाइनें 4) 66/11 केवी आरजीजीवीवाई एस/एसएस का विस्तार	1788.41 करोड़ रूपए। परियोजना सितंबर, 2017 तक पूरी किए जाने की संभावना है।	583.54 करोड़ रूपए। निधियां भारत सरकार द्वारा भारत की समेकित निधि के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के बजट में आबंटित की जाती हैं।
2.	अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम में पारेषण एवं वितरण के सुदृढ़ीकरण की विस्तृत योजना	अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम में अंतःराज्यीय पारेषण और वितरण स्कीम का सुदृढ़ीकरण	4754.42 करोड़ रूपए। परियोजना दिसंबर, 2018 तक पूरा होने की संभावना है।	250 करोड़ रूपए। निधियां भारत सरकार द्वारा भारत की समेकित निधि के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के बजट में आबंटित की जाती हैं।
3.	अतः राज्य पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु छः राज्यों (असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा) के लिए पूर्वोत्तर विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना	छः (6) राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड) में अंतःराज्य पारेषण और वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	5111.33 करोड़ रूपए। परियोजना दिसंबर, 2018 तक पूरा होने की संभावना है।	400 करोड़ रूपए। निधियां भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा 50:50 के अनुपात में विद्युत मंत्रालय के बजट में आबंटित की हैं।
4.	दिल्ली पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	(I) बामनोली में 2x500 एमवीए सहित 2x315 एमवीए आईसीटी का प्रतिस्थापना (II) डी/सी गीता कालोनी-वजीराबाद का एचटीएलएस री-कडक्टिंग (III) 220 केवी डी/सी हर्ष विहार-पटपड़गंज (यूजी+ओएच) लाइन	200 करोड़ रूपए। परियोजना मार्च, 2016 तक पूरा होने की संभावना है।	भारत सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय के बजट में आबंटित 200 करोड़ रूपए की निधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को जारी की गई है।
